(विविध प्रकरण संख्या :– 122/2021
अनवान सोनू वनाम स्टेट काशीराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 138/2021

1. सौनु
2. संदीप
3. सुमन
4. निर्मला

पुत्र/पुत्रीयान श्री लालचन्द जातियान मेघवाल निवासीयान गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर

5. सावित्री पत्नी श्री लालचंद

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सादुलशहर
3. काशीराम
4. देवी लाल
5. जगदीश उर्फ भोमा
6. लाल चन्द

पिसरान गिरधारी लाल जाति मेघवाल निवासीयानद गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री तेजा सिंह अधिवक्ता	प्रार्थीगण
2. श्री प्यारा सिंह अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या–3 ता 6
3. पैरोकार राज श्रीगंगानगर	अप्रार्थी – 1
4. पैरोकार राज सादुलशहर	अप्रार्थी – 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 26.11.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अनवान सदर का वाद श्रीमान न्यायालय में पेश किया जा चुका है। वजुहात वाद को देखते हुए वाद के डिग्री होने की पूरी पूरी सम्भावना है। तथ्यों की पुनरावर्ती न हो इसलिए इस आवेदन–पत्र को मूल वाद का अभिन्न अंग माना जाकर उसके साथ ही पढा जावे । वादीगण के पिता लालचन्द जो प्रतिवादी संख्या 6 है उसके हिस्से में वादीगण के दादा गिरधारी से चौथे हिस्से की प्रोपर्टी आई है। गिरधारी लाल का देहान्त चुका है। चक गणेशगढ के खाता संख्या पुराना 199 नया 32 में वादीगण के दादा गिरधारी के नाम से मुरब्बा नम्बर 40, 64 की कुल 1.177 है. खातेदारी भूमि थी व इसके साथ चक 43 एल एल डब्ल्यु खाता संख्या पुराना नरया 54 मुरब्बा नम्बर 17, 16 कुल 11.132 है. भूमि में 619/11132 हिस्सा वादीगण के दादा के नाम दर्ज है । वादीगण के दादा गिरधारी के नाम भूमि थी गिरधारी आज से काफी अर्सा पूर्व फौत हो गया है जिसका वारिस प्रमाण–पत्र सलंग्न है। गिरधारी के चार पुत्र और एक पत्नी थी, पत्नी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मौत हो गयी है। उक्त वादग्रस्त भूमि दोनो चकों की गिरधारी के चारों लड़कों को हिस्सा बराबर विरास्तन औद हुई है लेकिन गिरधारी की भूमि का इंतकाल अभी चारों लड़कों के नाम से दर्ज होना विचाराधीन है। उक्त भूमि चक गणेशगढ की 1.177 है. व गांव 43 एल एल डब्लयु की 619 हिस्सा यानि 2 बीघा 10 बिस्वा कुल 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि है जिसमें वादीगण के पिता लालचन्द वगैरा को गिरधारी ने अपने जीवनकाल में ही चार हिस्सों में भूमि बांटकर दे दी थी। गणेशगढ़ वाली भूमि भी चार हिस्सों में बांटकर दी। इस प्रकार प्रत्येक के हिस्सा में 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि आती थी जो अपने जीवनकाल में ही बांटकर दे दी थी। लालचन्द को 1 बीधा 16 बिस्वा गणेशगढ में दे दी थी और दूसरी भूमि तीनों काशीराम, देवी लाल व जगदीश को बांटकर दे दी थी और उस समय से ही भूमि कब्जाकाश्त में चली आ रही है। वादीगण के पिता भावुक थे वे मोह–माया त्याग कर साधु बन गये तथा घर छोड़कर चले गये और डेरे में जाकर रहने लग गये। पीछे से वादीगण के बच्चे छोटे थे। शेष प्रतिवादीगण काशीराम, देवी लाल व जगदीश उक्त भूमि में बार–बार प्रवेश करके तंग करने लग गये तो वादीगण ने कहा कि हम अपने हिस्से तक ही भूमि पर काबिज हैं, आप अपने हिस्से पर काबिज रहो। लेकिन प्रतिवादीगण काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे और जबरदस्ती भूमि में प्रवेश करते थे। इस सम्बन्ध में कई बार पंचायत भी हुई लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने तो वादीगण का जो पिता का हिस्सा 1 बीधा 16 बिस्वा भूमि आती है उसके अधिकारों की घोषणा करवाकर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने व भूमि का बंटवरा करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि गिरधारी के नाम से थी उनकी मृत्यु हो गयी। यह बात स्वाकार योग्य है कि लालचन्द के पास भूमि उसके पिता गिरधारी से आ रही है और जो भूमि विरास्तन आई हो उसमें बच्चों का बाई बर्थ अधिकार होता है। **उक्त भूमि जद्दी जायदाद है यह दस्तावेजों से साबित है।** वादीगण का पिता साधु हो गया है और उक्त भूमि में शेष प्रतिवादीगण 3 ता 5 जबरदस्ती काबिज होकर नाजायज फायदा उठाना चाह रहे है। वादीगण अधिकारों की घोषणा की डिग्री घोषित करवाकर उक्त भूमि का बंटवारा करवाने के अधिकारी है। वादीगण अपने हिस्से तक भूमि पर काबिज थे लेकिन प्रतिवादीगण 3 ता 5 जबरदस्ती भूमि हड़पना चाहते हैं और कब्जा करना चाहते है। जबकि वे अपने हिस्सा से ज्यादा काबिज नहीं रह सकते। वादीगण बतौर गिरधारी के 1/4 हिस्से की भूमि के वारिस हैं। अगर प्रतिवादीगण जबरदस्ती वादीगण को हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करके कब्जा करने व इसे रहन बैय करने में सफल हो जाते हैं तो इससे आयन्दा मुकदमेंबाबजी बढेगी, वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी और वाद पेश करने का मकसद फौत हो जावेगा। ऐसी सूरत में वादीगण 1/4 हिस्से तक प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं कि प्रतिवादीगण वाद–पत्र के लम्बनकाल के दौरान वादीगण के 1/4 हिस्से के कब्जा काश्त में कोई दखलअन्दाजी या हस्तक्षेप न करें और प्रतिवादीगण भी अपने हिस्से से ज्यादा काबिज होने से निषेध रहे। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतूलन तथा अपरिमेय क्षति का बिन्दु वादीगण के पक्ष में साबित है। अतः आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि वाद–पत्र के लम्बनकाल के दौरान प्रतिवादीगण/अनावेदकगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक गणेशगढ चक 43 एल एल डब्ल्यु में 1/4 हिस्सा की वादग्रस्त कृषि भूमि को रहन, बैय अथवा दीगर तरीके से मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहें तथा प्रतिवादीगण अपने हिस्सा से अधिक वादीगण के कब्जा काश्त में किसी दीगर तरीके से हस्तक्षेप करने से निषेध रहे ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। **अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. बंद किया गया।**

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण श्री तेजा सिंह संधु द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किए कि उक्त भूमि जद्दी जायदाद है यह दस्तावेजों से साबित है। वादीगण का पिता साधु हो गया है और उक्त भूमि में शेष प्रतिवादीगण 3 ता 5 जबरदस्ती काबिज होकर नाजायज फायदा उठाना चाह रहे है। वादीगण अधिकारों की घोषणा की डिग्री घोषित करवाकर उक्त भूमि का बंटवारा करवाने के अधिकारी है। वादीगण अपने हिस्से तक भूमि पर काबिज थे लेकिन प्रतिवादीगण 3 ता 5 जबरदस्ती भूमि हड़पना चाहते हैं और कब्जा करना चाहते है। वादीगण बतौर गिरधारी के 1/4 हिस्से की भूमि के वारिस हैं। अगर प्रतिवादीगण जबरदस्ती वादीगण को हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करके कब्जा करने व इसे रहन बैय करने में सफल हो जाते हैं तो इससे आयन्दा मुकदमें बाजी बढेगी, वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी और वाद पेश करने का मकसद समाप्त हो जायेगा। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक स्थगन जारी किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का विधि के आलोक में मनन किया। वादग्रस्त भूमि जमाबंदी चक 43 एलएल ब्यू तहसील सादुलशहर के खाता संख्या 54/54 के मुरबा नम्बर 17, 16, की 2.0750 हैक्टर एवम् जमाबंदी चक गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 1/199 के मुरब्बा नम्बर 40, 64 की 2.08 हैक्टयर भूमि दोनों चकों में वादीगण के दादा गिरधारी लाल पुत्र मानाराम के नाम संयुक्त खाता में भूमि राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त भूमि में से प्रार्थीगण के हक व हिस्से का निर्धारण वाद के अन्तिम निर्णय पश्चात् ही होना है। प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है अतः प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 01.0.2021 को ताफैसला कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद दमा संख्या 124/2021 बअनवान सोनु बनाम स्टेट काशीराम रहे।

आदेश आज दिनांक 26.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner